न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.204/रेफरेंस/2010	12.10.2010	12.08.2024
(GCMS No. 2010/00040)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

बिरधीचन्द पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बून्दी
हाल निवासी मकान नं. ए–12 गायत्री विहार,
लाईन पुलिस रोड कोटा (राज.)

— अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी की गैर खातेदारी की भूमि ग्राम बल्देवपुरा के खसरा संख्या 169/342 रकबा 19 बिस्वा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु.खाली' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–2073 में वादग्रस्त आराज़ी ख.सं.169/342 बिरधीचन्द पुत्र सत्यनारायण की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, ऐसे में वर्तमान गैरखातेदार बिरधीचन्द के विरूद्ध सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर सुनवाई की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 163 रकबा 19 बिस्वा) की किस्म 1947 से पूर्व 'खाली' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के गैर खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार नदी राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2000 से 2004, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम बल्देवपुरा की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **163** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **खाली** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के गैर खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213–9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बल्देवपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं. 169/342 रकबा 19 बिस्वा (वर्तमान में क्षेत्रफल 0.1461 हैक्टेयर) पर अप्रार्थी को दी गयी **गैर** खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.खाली दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर अभिशंषित मूल रेफरेंस प्रकरण निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी